

#### अमाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 398]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 18, 2015/माघ 29 1936

No. 398]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 18, 2015/MAGHA 29, 1936

# पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

( क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय प्रभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2015

का.आ. 558 (अ).—केंद्रीय सरकार, वन (संरक्षण) नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4क के अनुसरण में और भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं का.आ. 3194 (अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2014 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वन संरक्षण से संबंधित मामलों के निपटान के लिए क्षेत्रीय कार्यालय के दक्षिण-पूर्वी जोन, चेन्नई में क्षेत्रीय सशक्त समिति गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे, अर्थात् :—

(i)	अध्यक्ष, क्षेत्रीय कार्यालय, दक्षिण-पूर्वी जोन, चेन्नई	—अध्यक्ष
(ii)	मुख्य वनपाल या वनपाल, क्षेत्रीय कार्यालय, दक्षिण-पूर्वी जोन, चेन्नई की पंक्ति के अधिकारियों में से ज्येष्ठतम	—सदस्य
	अधिकारी	
(iii)	श्री के. जुडे सेकार, फ्लैट सं. आर - 33 अहंत हेयरलूम अपार्टमेंट्स पी.ओ. थालमबुर, आफिस ओएमआर, चेन्नई 600130 (ई मेल: judsek@gmail.com)	—अशासकीय सदस्य
(iv)	डा. सी. एन. राव, 9-10-3 गिडी लेन, गांधी नगर, काकीनाड़ा जिला पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश - 533004 (ई मेल : cnrao@chandra-logistics.com	—अशासकीय सदस्य
(v)	श्री बी. सोमशेखर रेड्डी, 107, वाइट हाउस अपार्टमेंट, रोड सं. 13, बंजारा हिल्स, हैदराबाद - 500034	—अशासकीय सदस्य

850 GI/2015 (1)

(ई मेल: bhimsoma@gmail.com)

(vi) उपवनपाल, क्षेत्रीय कार्यालय, दक्षिण-पूर्वी जोन, चेन्नई की पंक्ति के अधिकारियों में से ज्येष्ठतम अधिकारी —सदस्य सचिव

2. क्षेत्रीय सशक्त सिमिति की बैठक.-आंध्र प्रदेश, तिमलनाडु और तेलंगाना राज्यों तथा पुडुचेरी और अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्रों की बाबत वन भूमि के अपयोजन से संबद्ध प्रस्तावों के परीक्षण के लिए संबद्ध राज्य सरकार या यथास्थिति, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के निम्नलिखित प्रतिनिधियों को उक्त क्षेत्रीय सशक्त सिमिति की बैठक में हाजिर होने के लिए विशेष आमंत्रितों के रूप में आमंत्रित किए जाएंगे, अर्थात:-

## (क) आंध्र प्रदेश सरकार :

- (i) आंध्र प्रदेश सरकार में वन विभाग के प्रतिनिधित्व कर रहे नोडल अधिकारी:
- (ii) आंध्र प्रदेश सरकार में राजस्व विभाग के प्रतिनिधित्व कर रहे संयुक्त सचिव।

# (ख) तमिलनाडु सरकार :

- (i) तिमलनाडु सरकार में वन विभाग के प्रतिनिधित्व कर रहे नोडल अधिकारी;
- (ii) तिमलनाडु सरकार में राजस्व विभाग के प्रतिनिधित्व कर रहे संयुक्त सचिव।

# (ग) तेलंगाना सरकार:

- (i) तेलंगाना सरकार में वन विभाग के प्रतिनिधित्व कर रहे नोडल अधिकारी;
- (ii) तेलंगाना सरकार में राजस्व विभाग के प्रतिनिधित्व कर रहे संयुक्त सचिव।

# (घ) पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन :

- (i) पुड्चेरी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में वन विभाग के प्रतिनिधित्व कर रहे नोडल अधिकारी;
- (ii) पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में राजस्व विभाग के प्रतिनिधित्व कर रहे सचिव।

# (इ.) अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन :

- (i) अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में वन विभाग के प्रतिनिधित्व कर रहे नोडल अधिकारी;
- (ii) अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में राजस्व विभाग के प्रतिनिधित्व कर रहे संयुक्त सचिव।
- 3. अशासकीय सदस्यों के नियुक्ति की निबंधनें उक्त नियमों के नियम 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगी।

[फा. सं. 6-25/2014-आरओएचक्यू]

डा. एस. एस. नेगी, अपर वन महानिदेशक (एफ सी)

### MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

# $(Regional\ Offices\ Head quarters\ Division)$

New Delhi, the 18th February, 2015

S.O. 558(E).—In pursuance of rule 4A of the Forest (Conservation) Rules, 2003 (hereinafter referred to as the said rules), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change number S.O. 3194 (E), dated the 16th December, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes the Regional Empowered Committee at the Regional Office, South-Eastern Zone, Chennai, to deal with matters relating to forest conservation, comprising of the following Members, namely:—

(i)	Head of the Regional Office, South-Eastern Zone, Chennai	—Cairperson;
(ii)	An officer who is senior most amongst the officers in the rank of Chief Conservator of Forests or Conservator of Forests in the Regional Office, South Eastern Zone, Chennai	—Member;
(iii)	Shri K. Jude Sekar,	—Non-official member;

Flat No. R-33, Arihant Heirloom Apartments, P.O. Thalambur, Off OMR, Chennai- 600130 (E-mail: judsek@gmail.com) [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

(iv) Dr. C. N. Rao,

9-10-3 Giddi Lane,

Gandhi Nagar, Kakinada,

East Godavari District, Andhra Pradesh-533004

(E-mail: cnrao@chandra-logistics.com)

(v) Shri B. Somasekhara Reddy,

107, White House Apartments,

Road No. 13, Banjara Hills,

Hyderabad-500034

(E-mail: bhimsoma@gmail.com)

(vi) An officer who is senior most amongst the officers in the rank South-Eastern Zone. Chennai

—Member Secretary

-Non-official member;

-Non-official member;

2. Meetings of Regional Empowered Committee:— In examination of the proposals pertaining to the diversion of forest land in respect of the States of Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Telangana, and the Union territories of Puducherry and Andaman and Nicobar Islands, the following representatives of the concerned State Government or, as the case may be, the Union territory Administration, shall respectively be invited to attend the meetings of the said Regional Empowered Committee as special invitees:

#### (A) Government of Andhra Pradesh:

- (i) Nodal Officer representing the Forest Department in the Government of Andhra Pradesh;
- (ii) Joint Secretary representing the Revenue Department in the Government of Andhra Pradesh.

## (B) Government of Tamil Nadu:

- (i) Nodal Officer representing the Forest Department in the Government of Tamil Nadu;
- (ii) Joint Secretary representing the Revenue Department in the Government of Tamil Nadu.

### (C) Government of Telangana:

- (i) Nodal Officer representing the Forest Department in the Government of Telangana;
- (ii) Joint Secretary representing the Revenue Department in the Government of Telangana.

## (D) Union territory Administration of Puducherry:

- (i) Nodal Officer representing the Forest Department in the Union territory Administration of Puducherry;
- (ii) Secretary representing the Revenue Department in the Union territory Administration of Puducherry.

### (E) Union territory Administration of Andaman and Nicobar Islands:

- (i) Nodal Officer representing the Forest Department in the Union territory Administration of Andaman and Nicobar Inlands;
- (ii) Joint Secretary representing the Revenue Department in the Union territory Administration of Andaman and Nicobar Inlands.
- 3. The terms of appointment of non-official members shall be as specified in rule 4 of the said rules.

[F. No. 6-25/2014-RoHQ]

Dr. S. S. NEGI, Addl. Director General of Forests (FC)